न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 21/2016

अपीलांट

कुंभाराम पुत्र मंगनाराम जाति मेगवाल निवासी जुण्ड दक्षिण (संतरा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. वगताराम पुत्र मगनाराम
2. अमराराम पुत्र धन्नाराम
3. भगाराम पुत्र धन्नाराम
4. मूलाराम पुत्र धन्नाराम
5. मोटाराम पुत्र धन्नाराम
6. सोनाराम पुत्र चम्पालाल
7. भूराराम पुत्र चम्पालाल
8. वेहनाराम पुत्र चम्पालाल
9. सुन्दर पत्नी चम्पालाल
10. लुम्भाराम पुत्र खंगाराराम
11. आसूराम पुत्र मलाराम
12. दीपाराम पुत्र मलाराम
13. आसी पुत्री खंगाराराम के कायम मुकाम
    13/1 चुनाराम पुत्र मगनाराम
    13/2 भंवराराम पुत्र मगनाराम
14. सुन्दरी पुत्री खंगाराराम
15. छगनी पुत्री खंगाराराम
    जाति मेगवाल निवासी जुण्ड दक्षिण (संतरा)
16. तहसीलदार गिड़ा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 04.02.2006 द्वारा उप तहसीलदार गिड़ा

उपस्थित–
1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 02 से 05 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 16 उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 15 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 38, 39 संयुक्त रकबा 114 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा जूण्ड दक्षिण तहसील गिड़ा में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। पक्षकारो द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमियों का बाहामी बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं विभाजन आवेदन पत्र तैयार करवाये। हल्का पटवारी ने विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शे को बदलते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 15 के नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर पर दोबारा नक्शा तैयार कर रेस्पोडेंट संख्या 16 तहसीलदार गिड़ा के समक्ष पेश कर विभाजन आदेश **04.02.2016** पारित करवाया गया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट के अनपढ़ होने से ज्ञान नहीं हो सका। हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने हिस्से की भूमि की नेखमबंदी करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर नेखमन्दी आदेश पारित किया एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर आकर पैमाईश करने की कार्यवाही प्रारम्भ की तब अपीलांट को सर्वप्रथम गलत किये गये विभाजन का पता चला। अपीलांटस ने उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 28.6.2016 को प्राप्त की तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक **04.02.2002** की सम्पूर्ण जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करा दी गई। अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंट सं. 02 से 05 उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 16 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंटस बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं आये।

4. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के तहत किया गया विभाजन एवं तरमीम पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, आदेश पारित किये जाए।

5. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट का यह तर्क है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट की स्थाई रहवासी ढाणियों व पानी के टांके आदि को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 04.02.2002 में किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 28.6.2016 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

6. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 05 के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 04.02.2002 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 15 की पैतृक खसरा नंबर 38, 39 संयुक्त रकबा 114 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा जूण्ड दक्षिण (संतरा) तहसील गिड़ा में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 15 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार गिड़ा के समक्ष आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गिड़ा ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2002 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गिड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)